

भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4866

01 अप्रैल, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं की अहानिकारकता एवं गुणवत्ता

4866. श्री बी.बी. पाटील:

श्री जयंत सिन्हा:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं की अहानिकारकता और गुणवत्ता के बारे में वैश्विक समुदाय का विश्वास जीतने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं;
- (ख) देश के सभी राज्यों में आयुर्वेद और अन्य भारतीय औषधीय उत्पादों और जड़ी-बूटियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या रूपरेखा तैयार की गई/तैयार की जा रही है;
- (ग) उक्त दवाओं की अधिक और निम्न उत्पादकता का तेलंगाना सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या वर्ष 2021-22 में आयुष के अंतर्गत उपचार और औषधियों के बारे में भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) आयुष औषधियों की पंजीकृत विनिर्माण इकाइयों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है; और
- (च) क्या आयुष औषधियों के निर्माण के लिए कोई राजसहायता अथवा प्रोत्साहन दिया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, इन दवाओं के विनिर्माण को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और इसके तहत बनाए गए नियमों के दायरे में लाया गया है। औषधि नियम, 1945 के उपबंधों के अनुसार, संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा विनिर्माण लाइसेंस केवल तभी प्रदान किया जाता है जब आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी दवाओं के लिए अनुसूची-न और होम्योपैथी दवाओं के लिए अनुसूची-ड1 के तहत विनिर्दिष्ट आवश्यकताएं सुनिश्चित कर ली गई हों।

आयुष मंत्रालय ने प्रतिकूल दवाओं की घटनाओं (एडीई) की सूचना देने, दस्तावेज तैयार करने और आगे नियामक कार्रवाई हेतु विश्लेषण करने की संस्कृति विकसित करने के लिए जून 2018 से आयुर्वेद, सिद्ध यूनानी और होम्योपैथी दवाओं की भेषजसतर्कता की एक केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम भी लागू की है। इस योजना में एक संस्थापित त्रिस्तरीय नेटवर्क है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), नई दिल्ली को राष्ट्रीय भेषजसतर्कता समन्वय केंद्र (एनपीवीसीसी) के रूप में नामित किया गया है। वर्तमान में, 5 मध्यस्थ भेषजसतर्कता केंद्र (आईपीवीसी) और 74 परिधीय भेषजसतर्कता केंद्र (पीपीवीसी) हैं।

आयुष उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को डब्ल्यूएचओ-जीएमपी, ईयू-जीएमपी या किसी अन्य मानकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो आयात करने वाले देशों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और आयात करने वाले देशों की अन्य आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमाणन योजना, जो कि फार्मास्यूटिकल उत्पाद प्रमाण-पत्र (सीओपीपी) की एक योजना है, राष्ट्रीय विनियामक प्राधिकरण (एनआरए) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के उद्देश्य से अर्थात् विदेशों में उत्पादों के पंजीकरण के लिए जारी की जाती है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) आयुष मंत्रालय के परामर्श से ऐसे आवेदनों की जांच के बाद आयुर्वेदिक, सिद्ध या यूनानी उत्पादों को फार्मास्यूटिकल उत्पाद का प्रमाणन (सीओपीपी) जारी करता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए, आयुष मंत्रालय नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार आयुष उत्पादों के निम्नलिखित प्रमाणनों को प्रोत्साहित करता है:-

- (i) हर्बल उत्पादों के लिए डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देशों के अनुसार फार्मास्यूटिकल उत्पादों का प्रमाणन (सीओपीपी)।
- (ii) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन की स्थिति के अनुसार गुणवत्ता के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के आधार पर आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी उत्पादों को आयुष प्रीमियम चिह्न प्रदान करने के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) द्वारा कार्यान्वित गुणवत्ता प्रमाणन योजना।

इसके अलावा, जामनगर, गुजरात में पारंपरिक चिकित्सा हेतु डब्ल्यूएचओ वैश्विक केंद्र (डब्ल्यूएचओ जीसीटीएम) की स्थापना के लिए जिनेवा में भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के बीच एक मेजबान देश समझौते पर 25 मार्च, 2022 को हस्ताक्षर किए गए हैं। यह दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र वैश्विक आउट पोस्टेड सेंटर (कार्यालय) होगा। यह भारत सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए समर्थन और वैश्विक स्तर पर इसकी मान्यता को दर्शाता है।

(ख): आयुष मंत्रालय ने विभिन्न स्तरों पर आयुर्वेद और अन्य भारतीय औषधीय उत्पादों और जड़ी-बूटियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं:

- i. लाइसेंसिंग प्रक्रिया को आसान बनाया: इस मंत्रालय ने एएसयू दवाओं की लाइसेंसिंग प्रक्रिया से संबंधित औषधि नियम, 1945 में संशोधन के लिए 1.10.2021 को राजपत्र अधिसूचना सं. जीएसआर 716-ई जारी की है। अनुपालन के बोझ को कम करने और इज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से संशोधन किए गए हैं। आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी (एएसयू) दवाओं के विनिर्माण हेतु लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया तेज, कागज रहित और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए, लाइसेंस आवेदन प्रणाली को e-aushadhi.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कर दिया गया है। एएसयू दवाओं के लाइसेंस को स्थायी बना दिया गया है अर्थात् एक बार पंजीकरण शुल्क के साथ उत्पाद का लाइसेंस आजीवन वैध होगा, जिसके बाद कोई और प्रतिधारण या नवीकरण शुल्क नहीं होगा। एएसयू दवाओं के विनिर्माण के लिए लाइसेंस प्रदान करने में अधिकतम समय को तीन महीने से घटाकर दो महीने कर दिया गया है।
- ii. कोविड-19 के लिए आयुष उत्पादों को बढ़ावा देना:
 - कोविड-19 महामारी के दौरान, आयुष मंत्रालय ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के प्रावधानों के अनुसार आयुर्वेदिक औषधि विनिर्माताओं को 'आयुष क्वाथ' के जेनेरिक नाम से विनिर्माण और विक्रय करने के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए अनुमति देने हेतु सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को निदेश जारी किए हैं।

- उपयोगी पाए जाने वाली और आयुष मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय दिशानिर्देशों में उल्लिखित औषधियां, अधिकतर आयुर्वेद औषध विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित की जा रही हैं।
 - अनुसंधान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: इस महामारी की दूसरी लहर के दौरान, देश के प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों के विशेषज्ञों ने पाया कि केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) द्वारा विकसित एक पॉलीहर्बल औषध योग, आयुष-64 लक्षणरहित, हल्के से मध्यम कोविड-19 संक्रमण के उपचार में मानक परिचर्या में सहायक के रूप में उपयोगी रहा है। आयुष चिकित्सा पद्धतियों का अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए, पूरे देश में आयुष-64 और कबासुर कुडिनीर (सिद्ध औषधि) के वितरण के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान आरंभ किया गया था। सीसीआरएएस ने आयुष-64 के विनिर्माण के लिए 46 विनिर्माण इकाइयों को राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) के माध्यम से आयुष-64 की विनिर्माण प्रौद्योगिकी हस्तांतरित की है।
 - कोविड-19/ऑमिक्रोन मामले बढ़ने के दौरान, मंत्रालय ने लोगों के स्वास्थ्य संवर्धन के लिए आयुरक्षा किट, बाल रक्षा किट और आयुर केयर किट के प्रयोग को बढ़ावा दिया। इस संबंध में सभी राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को सूचित किया गया था कि किट के पृथक घटक का वैध लाइसेंस रखने वाले विनिर्माताओं के लिए आयुरक्षा किट, बाल रक्षा किट और आयुर केयर किट के विशिष्ट घटकों सहित किट बनाने के लिए अलग से लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।
- iii. आयुर्वेद औषधियों के उत्पादन के लिए सहायता की योजना: राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत 2014-2021 तक, अन्य सेवाओं के अलावा, राज्य सरकार की एएसयू एंड एच फार्मेशियों के सुदृढीकरण के लिए सहायता अनुदान भी दिया जा रहा था। साथ ही, एनएएम के औषधीय पादप घटक के अंतर्गत पूरे देश में औषधीय पादपों की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस समय, वर्ष 2021-2026 के लिए आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) की केन्द्रीय क्षेत्रक योजना लागू की गई है। इस योजना के घटकों में से एक घटक, उच्च मानक प्राप्त करने के लिए आयुष फार्मेशियों का सुदृढीकरण और उन्नयन करना है।
- iv. औषधीय पादपों के व्यापार के लिए एक मंच प्रदान करने और आसान बाजार पहुंच प्रदान करने के लिए, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएएमपीबी), आयुष मंत्रालय ने औषधीय पादपों/जड़ी-बूटियों के संवर्धन और विपणन के लिए "ई-चरक" मोबाइल एप्लिकेशन के साथ-साथ वेब पोर्टल भी शुरू किया है। "ई-चरक" देश भर में औषधीय पादप क्षेत्र में शामिल विभिन्न हितधारकों मुख्यतया किसानों के बीच सूचना के आदान-प्रदान करने के लिए एक मंच है। "ई-चरक" एप्लिकेशन विभिन्न स्थानीय भाषाओं से समर्थित है और यह भारत भर में 25 हर्बल बाजारों से 100 औषधीय पादपों का पाक्षिक बाजार मूल्य भी उपलब्ध कराता है।

(ग): आयुष मंत्रालय द्वारा उक्त दवाओं की उत्पादकता (उच्च और निम्न) का राज्य-वार ब्योरा नहीं रखा जाता है।

(घ): औषध एवं चमत्कारी उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 और उसके अंतर्गत नियमों में आयुष औषधियों सहित औषधों और औषधीय पदार्थों के भ्रामक विज्ञापनों और अतिरंजित दावों के निषेध के प्रावधान किए गए हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को इस अधिनियम के तहत कानूनी प्रावधानों को लागू करने का अधिकार है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपभोक्ता मामले विभाग के भ्रामक विज्ञापन के विरुद्ध शिकायत (जीएएमए) पोर्टल पर पंजीकृत आयुष उत्पादों और सेवाओं के ऐसे 339 भ्रामक विज्ञापनों और 2021 (जनवरी-दिसंबर) में भेषजसतर्कता केंद्रों द्वारा सूचित किए गए आयुष उत्पादों और सेवाओं के 8144 भ्रामक विज्ञापनों को संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को मौजूदा नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई करने हेतु अग्रेषित किया गया।

(ड): आयुष औषधियों की पंजीकृत विनिर्माण इकाइयों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या **संलग्नक** में दी गई है।

(च): फार्मेशियों को सहायता देने के लिए, आयुष मंत्रालय वर्ष 2021-2026 के लिए आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) की एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना लागू कर रहा है। इस स्कीम का एक घटक उच्चतर मानकों को प्राप्त करने के लिए आयुष फार्मेशियों का सुदृढीकरण और उन्नयन है, जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की विनिर्माण इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

आयुष औषधियों की पंजीकृत विनिर्माण इकाइयों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019	2020	2021
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	304	261	261
3	अरुणाचल प्रदेश	1	1	1
4	असम	40	40	44
5	बिहार	252	155	286
6	चंडीगढ़	1	1	2
7	छत्तीसगढ़	32	30	30
8	दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	17	23	23
9	दिल्ली	103	120	125
10	गोवा	6	9	11
11	गुजरात	587	751	797
12	हरियाणा	518	613	447
13	हिमाचल प्रदेश	138	144	161
14	जम्मू-कश्मीर	15	21	22
15	झारखंड	27	28	34
16	कर्नाटक	222	358	226
17	केरल	905	814	753
18	लद्दाख	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	584	679	699
21	महाराष्ट्र	725	882	834
22	मणिपुर	0	0	0
23	मेघालय	0	0	0
24	मिजोरम	0	0	0
25	नागालैंड	0	0	0
26	ओडिशा	90	92	91
27	पुडुचेरी	40	60	55
28	पंजाब	232	293	352
29	राजस्थान	350	355	317
30	सिक्किम	3	5	5
31	तमिलनाडु	305	343	313
32	तेलंगाना	634	774	1162
33	त्रिपुरा	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	1755	1784	1835
35	उत्तराखंड	196	270	324
36	पश्चिम बंगाल	325	373	218
	कुल	8407	9279	9428